दिनांक–01.07.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   (5) श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 13897 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 11901 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 1144 मामलें लंबित है। कई मामलें 10 दिन से अधिक लंबित है, जिसके कारण औरंगाबाद में 07, भागलपुर में 11, गोपालगंज में 15, मधुबनी में 14, पटना में 10, पूर्वी चंपारण में 29, सारण में 10, सिवान में 39 एवं वैशाली में 39 Show Cause की गयी है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के निष्पादन हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु वेयर हाउस के चयनोपरान्त आवश्यक उपकरणो, साज–सज्जा एवं मरम्मती के लिए आवश्यक निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खगड़िया, पश्चिम चंपारण, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों से मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु आवश्यक निधि/आवंटन से

संबंधित अधियाचना विभाग को अप्राप्त है। उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि ई0वी0एम0 के रख–रखाव हेतु निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना दो(2) दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया जिले के 01, पूर्णिया जिले के 02 एवं पश्चिम चंपारण जिले के 04 पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार भवन का हस्तांतरण कई वर्ष पूर्व की गयी थी परंतु आज तक उसको क्रियाशील नहीं किया गया है। DPRO के द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण क्रियाशील नहीं की गयी है। उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि संबंधित BPRO एवं पंचायत सचिव को चिन्हित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली एवं दरभंगा जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3118 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2702 पंचायत सरकार भवन ही संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 110 में बैंक, 2687 में RTPS केन्द्र, 2600 में विद्युत कनेक्शन, 971 में डाकघर, 494 में NOFN, 982 में पुस्तकालय एवं 28 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 805 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

निदेश दिया गया कि डाक विभाग के स्थानीय स्तर के पदाधिकारी के साथ नियमित बैठक कर निर्मित पंचायत सरकार भवन में डाकघर का स्थानांतरण कराना सुनिश्चित करें।

जिस पंचायत सरकार भवन पर सोलर प्रणाली का अधिष्ठापन नहीं किया गया है, BREDA से समन्वय कर अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगें।

लगातार.....

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 737 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 638 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 544 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 150 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों में जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। शेष पंचायतो में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 8053 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 1434 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 697 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 499 की तकनीकी स्वीकृति एवं 340 की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर तकनीकी सहायक द्वारा सभी पंचायतों का प्राक्कलन तैयार कराना सुनिश्चित करें तथा जिला पदाधिकारी के माध्यम से भूमि का चयन कर विभाग को सूचित करें। जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक सहरसा में 47%, मधेपुरा में 49%, सारण में 57% एवं भागलपुर में मात्र 61% सोलर स्ट्रीट लाईट का ही अधिष्ठापन किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, पूर्णिया, मधेपुरा, औरंगाबाद एवं औरंगाबाद जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरूद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, शिवहर, दरभंगा, सारण, बक्सर, वैशाली एवं सहरसा जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	11.65%
02	पंचायत समिति	29.04%
03	ग्राम पंचायत	31.43%

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों के विभिन्न पंचायतों में सामानो/सेवाओं का क्रय Single Vendor के माध्यम से की जा रही है, जिसमें से भोजपुर में 27, गया जी में 15, मधुबनी में 9, पूर्णिया में 08 पंचायत शामिल है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा संबंधित DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी गहन समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

नालन्दा, अरवल एवं गोपालगंज जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कराते हुए व्यय में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगें।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुल 06 जिलो यथा जहानाबाद, खगड़िया, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर एवं सिवान में पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर एक भी योजना पूर्ण नहीं की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। पोर्टल पर योजनाओं के पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित ACEO, जिला परिषद की है। इस संबंध में उक्त जिलों के DDC एवं ACEO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर पोर्टल पर योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी। मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, गया जी, गोपालगंज, समस्तीपुर, अररिया, दरभंगा, सुपौल एवं पूर्वी चंपारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

साथ ही सभी DPRO को निदेश दिया गया कि (देवव्रत सहनी बनाम बिहार सरकार) CWJC वाद से संबंधित Post CFMS अवधि के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र को दिनांक– 15.07.2026 तक समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) Departmental Audit Progress Report(FY: 2024-25)- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 32, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 504, 8053 पंचायत के विरूद्ध 7437 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 7556 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि दिनांक– 10.07.2026 तक सभी ऑडिट कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–समी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7/7/26.

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/10038/पं०रा० पटना, दिनांक 08/7/2026
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/07/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/10038/पं०रा० पटना, दिनांक 08/7/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/7/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/10038/पं०रा० पटना, दिनांक 08/7/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

07/07/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी